झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, राँची – 834001

विज्ञापन

ऑनलाईन (Online) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि–20.10.2021	विज्ञापन संख्या–06/2021

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभागान्तर्गत राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, झारखण्ड, राँची हेतु सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी के रिक्त पदो पर सीधी भर्ती नियुक्ति परीक्षा।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अन्तर्गत राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, झारखण्ड, राँची के सभी 14 (चौदह) प्रशाखाओं में **सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी** के कुल–49 (उनचास) रिक्त पदो पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक–3215 दिनांक–22.09.2020 द्वारा प्राप्त अधियाचना एवं पत्रांक–1134 दिनांक–08.03.2021 द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देश एवं संसूचित रिक्तियों के आलोक में इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित–प्रपत्र में Online आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं जो आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

क्रम	पद कोड सं0	पद का नाम (शाखा)	कुल पद	कोटिवार रिक्तियाँ						क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत प्रवर्ग कोटि का विवरण					
		सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी		अनारक्षित	अनु0जनजाति	अनु0जाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनु0–I)	पिछड़ा वर्ग (अनु0–II)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	महिला	खेल कूद	दिव्यांग: दृष्टि दिव्यांगता (क)	दिव्यांग: श्रवण दिव्यांगता (ख)	दिव्यांग: चलन दिव्यांगता (ग)	(घ) स्वलीनता (Autism), बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने की विशेष अक्षमता एवं मानसिक रोगी, और, व (ङ) बहु दिव्यांगता (Multiple disabilities) जो (क) से (घ) के बीच में दिव्यांगता के विभिन्न स्थितियों के मिलने से हो, एक स्थिति अथवा एक साथ से मिलने से हो सकता है।
1.		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	06/2021–1	सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (भौतिकी)	03	02	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.	06/2021–2	सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (आग्नेयास्त्र)	09	05	02	01	01	x	x	x	x	x	x	x	
3.	06/2021–3	सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (बैलेस्टिक्स)	01	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4.	06/2021–4	सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (विस्फोटक)	05	03	01	x	01	x	x	x	x	x	x	x	
5.	06/2021–5	सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी ([illegible])	03	02	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

6.	08/2021-6	सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (विष विज्ञान)	09	05	02	01	01	x	x	x	x	x	x	x	
7.	08/2021-7	सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (डी॰एन॰ए॰)	05	03	01	x	01	x	x	x	x	x	x	x	
8.	08/2021-8	सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (जीव विज्ञान)	05	03	01	x	01	x	x	x	x	x	x	x	
9.	08/2021-9	सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (सीरम विज्ञान)	03	02	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10.	08/2021-10	सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (फोटोग्राफी)	01	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.	08/2021-11	सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (फॉरेंसिक इंजीनियरिंग एवं उपकरण)	01	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.	08/2021-12	सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (साईबर फॉरेंसिक/साइबर क्राईम)	02	01	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.	08/2021-13	सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (लाई डिटेक्शन)	01	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.	08/2021-14	सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (कम्प्यूटर)	01	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		कुल	49	31	11	02	05	00	00	00	00	00	00	00	

नोट:-रिक्तियों/पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

2. वेतनमान:- P.B.-II, 9300-34800, ग्रेड पे-4800 (Revised Pay Scale-47600-151100)

3. पद :- स्थायी

4. परीक्ष्यमान अवधि :- 2(दो) वर्ष।

5. अनिवार्य शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ :-

क्रम॰	पद का नाम	शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ
1	सहायक निदेशक/ वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (भौतिकी)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ भौतिकी में स्नातकोत्तर अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ Forensic Science में M.SC एवं स्नातक स्तर पर B.SC (Physics) Honours होना आवश्यक है। (ii) किसी राज्य अथवा भारत सरकार के किसी विज्ञान प्रयोगशाला/विश्वविद्यालय/कॉलेज से शोधकार्य/संस्थान में संबंधित विषय में दो वर्षों का कार्य करने का अनुभव। (iii) राज्य सरकार/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स (कम से कम छः माह का Diploma in Computer Application) होना आवश्यक है।

2	सहायक निदेशक/ वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी ([illegible])	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ भौतिकी अथवा गणित विषय में स्नातकोत्तर अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ Forensic Science में M.SC एवं स्नातक स्तर पर B.SC (Physics or Mathematics) Honours होना आवश्यक है। (ii) किसी राज्य अथवा भारत सरकार के विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विश्वविद्यालय/कॉलेज के प्रयोगशाला/शोध संस्थान में संबंधित विषय में दो वर्षों का कार्य करने का अनुभव। (iii) राज्य सरकार/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स (कम से कम छः माह का Diploma in Computer Application) होना आवश्यक है।
3	सहायक निदेशक/ वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी ([illegible])	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ Forensic Science में M.SC एवं स्नातक स्तर पर B.SC (Chemistry) Honours होना आवश्यक है। (ii) किसी राज्य अथवा भारत सरकार के विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विश्वविद्यालय/कॉलेज के प्रयोगशाला/शोध संस्थान में संबंधित विषय में दो वर्षों का कार्य करने का अनुभव। (iii) राज्य सरकार/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स (कम से कम छः माह का Diploma in Computer Application) होना आवश्यक है।
4	सहायक निदेशक/ वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी ([illegible])	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ Forensic Science में M.SC एवं स्नातक स्तर पर B.SC (Chemistry) Honours होना आवश्यक है। (ii) किसी राज्य अथवा भारत सरकार के विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विश्वविद्यालय/कॉलेज के प्रयोगशाला/शोध संस्थान में संबंधित विषय में दो वर्षों का कार्य करने का अनुभव। (iii) राज्य सरकार/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स (कम से कम छः माह का Diploma in Computer Application) होना आवश्यक है।
5	सहायक निदेशक/ वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (सामान्य रसायन)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ Forensic Science में M.SC एवं स्नातक स्तर पर B.SC (Chemistry) Honours होना आवश्यक है। (ii) किसी राज्य अथवा भारत सरकार के विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विश्वविद्यालय/कॉलेज के प्रयोगशाला/शोध संस्थान में संबंधित विषय में दो वर्षों का कार्य करने का अनुभव। (iii) राज्य सरकार/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स (कम से कम छः माह का Diploma in Computer Application) होना आवश्यक है।
6	सहायक निदेशक/ वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (विष विज्ञान)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ Forensic Science में M.SC एवं स्नातक स्तर पर B.Sc. (Chemistry) Honours होना आवश्यक है। (ii) किसी राज्य अथवा भारत सरकार के विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विश्वविद्यालय/कॉलेज के प्रयोगशाला/शोध संस्थान में संबंधित विषय में दो वर्षों का कार्य करने का अनुभव। (iii) राज्य सरकार/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स (कम से कम छः माह का Diploma in Computer Application) होना आवश्यक है।
7	सहायक निदेशक/ वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी ([illegible])	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ जन्तु विज्ञान/जीव रसायन/वनस्पति विज्ञान/मॉलेक्यूलर जीव विज्ञान/बायो टेक्नोलॉजी (in any stream)/माइक्रो बायोलॉजी/लाइफ साइंस में स्नातकोत्तर अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ Forensic Science में M.SC एवं स्नातक स्तर पर किसी एक विषय में B.SC (जन्तु विज्ञान/जीव रसायन/वनस्पति विज्ञान/मॉलेक्यूलर जीव विज्ञान/बायो टेक्नोलॉजी (in any stream)/माइक्रो बायोलॉजी/ लाइफ साइंस) Honours होना आवश्यक है। (ii) किसी राज्य अथवा भारत सरकार के विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विश्वविद्यालय/कॉलेज के प्रयोगशाला/शोध संस्थान में संबंधित विषय में दो वर्षों का कार्य करने का अनुभव। (iii) राज्य सरकार/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स (कम से कम छः माह का Diploma in Computer Application) होना आवश्यक है।

8	सहायक निदेशक/ वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (जीव विज्ञान)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ जन्तु विज्ञान/जैव रसायन/वनस्पति विज्ञान/मोलेक्यूलर जीव विज्ञान/बायो टेक्नोलॉजी (In any stream)/माइक्रो बायोलॉजी/ लाईफ साईन्स में स्नातकोत्तर अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ Forensic Science में M.SC एवं स्नातक स्तर पर किसी एक विषय में B.SC (जन्तु विज्ञान/जैव रसायन/वनस्पति विज्ञान/मोलेक्यूलर जीव विज्ञान/बायो टेक्नोलॉजी (In any stream)/माइक्रो बायोलॉजी/ लाईफ साईन्स) Honours होना आवश्यक है। (ii) किसी राज्य अथवा भारत सरकार के विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विश्वविद्यालय/कॉलेज के प्रयोगशाला/शोध संस्थान में संबंधित विषय में दो वर्षों का कार्य करने का अनुभव। (iii) राज्य सरकार/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स (कम से कम छः माह का Diploma in Computer Application) होना आवश्यक है।
9	सहायक निदेशक/ वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (सीरम विज्ञान)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ जन्तु विज्ञान/जैव रसायन/वनस्पति विज्ञान/मोलेक्यूलर जीव विज्ञान/बायो टेक्नोलॉजी (In any stream)/माइक्रो बायोलॉजी/ लाईफ साईन्स में स्नातकोत्तर अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ Forensic Science में M.SC एवं स्नातक स्तर पर किसी एक विषय में B.SC (जन्तु विज्ञान/जैव रसायन/वनस्पति विज्ञान/मोलेक्यूलर जीव विज्ञान/बायो टेक्नोलॉजी (In any stream)/माइक्रो बायोलॉजी/ लाईफ साईन्स) Honours होना आवश्यक है। (ii) किसी राज्य अथवा भारत सरकार के विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विश्वविद्यालय/कॉलेज के प्रयोगशाला/शोध संस्थान में संबंधित विषय में दो वर्षों का कार्य करने का अनुभव। (iii) राज्य सरकार/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स (कम से कम छः माह का Diploma in Computer Application) होना आवश्यक है।
10	सहायक निदेशक/ वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (भौतिकी)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ भौतिकी विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ Forensic Science में M.SC एवं स्नातक स्तर पर B.SC (Physics) Honours होना आवश्यक है। (ii) किसी राज्य अथवा भारत सरकार के विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विश्वविद्यालय/कॉलेज के प्रयोगशाला/शोध संस्थान में संबंधित विषय में दो वर्षों का कार्य करने का अनुभव। (iii) राज्य सरकार/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स (कम से कम छः माह का Diploma in Computer Application) होना आवश्यक है।
11	सहायक निदेशक/ वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी ([illegible] इंजिनियरिंग एवं [illegible])	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इन्स्ट्रुमेन्टेशन तथा कम्प्यूटर में बी.ई./बी.टेक/स्नातकोत्तर उपाधि अथवा समकक्ष तकनीकी योग्यता। (ii) किसी राज्य अथवा भारत सरकार के विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विश्वविद्यालय/कॉलेज के प्रयोगशाला/शोध संस्थान में संबंधित विषय में दो वर्षों का कार्य करने का अनुभव।
12	सहायक निदेशक/ वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (सहायक [illegible]/साइबर क्राइम)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ एम.सी.ए./सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर साईन्स में बी.टेक/बी.ई. अथवा समकक्ष तकनीकी योग्यता। (ii) किसी राज्य अथवा भारत सरकार के विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विश्वविद्यालय/कॉलेज के प्रयोगशाला/शोध संस्थान में संबंधित विषय में दो वर्षों का कार्य करने का अनुभव।
13	सहायक निदेशक/ वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी ([illegible])	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ Forensic Science में M.SC एवं स्नातक स्तर पर मनोविज्ञान में B.SC/B.A. Honours होना आवश्यक है। (ii) किसी राज्य अथवा भारत सरकार के विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विश्वविद्यालय/कॉलेज के प्रयोगशाला/शोध संस्थान में संबंधित विषय में दो वर्षों का कार्य करने का अनुभव (iii) राज्य सरकार/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स (कम से कम छः माह का Diploma in Computer Application) होना आवश्यक है।
14	सहायक निदेशक/ वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (बैलिस्टिक)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ भौतिकी/रसायन में स्नातकोत्तर अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ Forensic Science में M.SC एवं स्नातक स्तर पर B.SC (Physics or Chemistry) Honours होना आवश्यक है। (ii) किसी राज्य अथवा भारत सरकार के विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विश्वविद्यालय/कॉलेज के प्रयोगशाला/शोध संस्थान में संबंधित विषय में दो वर्षों का कार्य करने का अनुभव। (iii) राज्य सरकार/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स (कम से कम छः माह का Diploma in Computer Application) होना आवश्यक है।

नोटः– (क) ऑनलाईन आवेदन भरने की तिथि तक आवेदक के पास उपर्युक्त शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ होनी चाहिए।

(ख) अनुभव प्रमाण पत्र संस्थान के प्रमुख/विभागाध्यक्ष(यथा विश्वविद्यालय के उप कुलपति/रजिस्ट्रार/डीन/संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/एच०ओ०डी०) के द्वारा निर्गत मान्य होंगे।

(ग) राज्य सरकार/भारत सरकार के संस्थान में नियमित/संविदा पर कार्यरत कर्मी के अनुभव प्रमाण पत्र की मान्यता होगी।

(घ) एक से अधिक पद पर योग्यता रहने की स्थिति में अभ्यर्थी एक से अधिक पद पर भी आवेदन कर सकते हैं।

6. <u>उम्र गणना की संदर्भ तिथि</u> :– 01.08.2020

(क) न्यूनतम उम्र सीमा :– 21 वर्ष।

(ख) अधिकतम उम्र सीमा :– कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–609 दिनांक–25.01.2016 एवं संकल्प संख्या–7030 दिनांक–12.10.2018 के अनुसार सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा निम्न प्रकार है :–

Sl No.	Category	Upper Age Limit
1	Unreserved	35 Years
2	Extremely Backward Classes (Annexure-I)/Backward Classes (Annexure-II)	37 Years
3	Female (Unreserved/Extremely Backward Classes (Annexure-I)Backward Classes (Annexure-II)	38 Years
4	Scheduled Tribes/Scheduled Castes (Male and Female)	40 Years
5	Economically Weaker Section	35 Years
6	Persons with Benchmark Disability (PwBD)	A relaxation of 10 years in their respective category.
7	Ex-Servicemen	A relaxation of 5 years in their respective category.

<u>Note</u> :-A candidate who has rendered at least 03 (three) years of regular service under the Government of Jharkhand, shall be granted 5 years relaxation in the upper age limit.

7. <u>नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया</u> :–

लिखित परीक्षा, कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा, साक्षात्कार एवं कार्यानुभव के लिए देय अंको के आधार पर अंतिम रूप से चयन किया जाएगा।

(क) **लिखित परीक्षा**–लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी जिसमें संबंधित विषय से 100 प्रश्न कुल–300 अंको का होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 03 अंक होगा। परीक्षा अवधि 02 घंटे की होगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के दिए गए गलत उत्तर के लिए 1(एक) अंक दण्ड रूप में काटा जाएगा। लिखित परीक्षा में श्रेणीवार न्यूनतम अर्हतांक कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–13026, दिनांक–27.11.2012 के अनुरूप होगा।

(ख) **साक्षात्कार**–साक्षात्कार के लिए अधिकतम 30 अंक दिये जाएंगे। लिखित परीक्षा के प्राप्त अंको के आधार पर विभिन्न प्रशाखाओं में भरी जाने वाली कुल रिक्तियों की संख्या के 2.5 गुणा अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए आमंत्रित होंगे। साक्षात्कार के लिए कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होगा।

(ग) **कार्यानुभव**–कार्यानुभव के लिए देय अंक–राज्य या भारत सरकार के किसी विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में कार्यानुभव हेतु प्रत्येक वर्ष के लिए 05 अंक एवं अधिकतम 20 वरीयता अंक दिये जायेंगे। किसी राज्य अथवा भारत सरकार के विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विश्वविद्यालय/कॉलेज के प्रयोगशाला/शोध संस्थान में संबंधित विषय में दो वर्षों का कार्य करने का अनुभव परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनिवार्य है।

(घ) **कम्प्यूटर ज्ञान एवं संचालन**–50 प्रश्नों (कुल–50 अंकों) का लिखित (वस्तुनिष्ट प्रश्न) जाँच परीक्षा होगी एवं प्रत्येक प्रश्न के लिए एक–एक अंक होंगे तथा परीक्षा अवधि–01 (एक) घंटे की होगी, जिसके लिए कोई भी कोई भी Negative Marking नहीं होगी जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके प्राप्तांक को मेधा सूची में नहीं जोड़ा जायेगा।

(ङ) **मेधा सूची**– लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं कार्यानुभव के देय अंक के प्राप्तांक को जोड़कर बनाई गई मेधा–सह–वरीयता सूची पर की जायेगी।

नोट :– (i) कम्प्यूटर ज्ञान एवं संचालन परीक्षा हेतु **Window, MS Office, Internet** तथा **e-mail** इत्यादि से 50 प्रश्न पूछे जायेंगे।

(ii) लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

6. आरक्षण का लाभ :–आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को ही देय होगा।

(a) जाति प्रमाण पत्र हेतु विस्तृत निदेश निम्नवत् है:–

(i) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति :–

झारखण्ड राज्य के **अनुसूचित** जनजाति एवं **अनुसूचित** जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–1754 दिनांक–25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र–IV में झारखण्ड राज्य के **सक्षम प्राधिकार** द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

नोट:– सक्षम प्राधिकार यथा अनुमण्डल पदाधिकारी/उपायुक्त द्वारा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तत्समय प्रभावी प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण–पत्र भी मान्य होंगे।

(ii) अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II :–

झारखण्ड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-**II** कोटि के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–1754 दिनांक–25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र–6 के साथ प्रपत्र–11 (क्रीमीलेयर रहित) में झारखण्ड राज्य के **सक्षम प्राधिकार** द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

नोट– कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के परिपत्र सं0–1754 दिनांक–25.02.2019 की कंडिका–6.2 के प्रावधान के आलोक में क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र की वैधता प्रमाण–पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष के उपरान्त क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी अद्यतन स्वघोषणा पत्र (फॉर्म सं0–15) संलग्न करने पर इस प्रमाण–पत्र की वैधता स्वघोषणा पत्र समर्पित करने की वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी।

(iii) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, ज्ञापांक–235 दिनांक–10.10.2019 के आलोक में अन्य राज्य से झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आप्रवासित महिलाओं को आप्रवासित राज्य में आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है।

(iv) खेलकूद कोटा के अन्तर्गत आरक्षण का दावा कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–1709 दिनांक 12.09.2007 द्वारा श्रेणी–II के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा।

	प्रतियोगिता का स्तर	उपलब्धि
(i)	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमिटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता।	मेडल
(ii)	भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशिप स्तर की प्रतियोगिता	प्रथम स्थान
(iii)	राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता	विश्व रिकार्ड

(v) विभिन्न सेवाओं एवं पदों में दिव्यांग कोटे के अन्तर्गत कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–2249 दिनांक–03.04.2018 के आलोक में आरक्षण के लिए ऐसे उम्मीदवार पात्र होंगे जो कम से कम 40 प्रतिशत संबंधित निःशक्तता से ग्रस्त हों। आरक्षण के लाभ के लिए उन्हें सक्षम मेडिकल बोर्ड एवं मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित निःशक्तता प्रमाण पत्र के आधार पर ही आरक्षण की सुविधा अनुमान्य होगी। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(vi) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में आरक्षण कोटि से संबंधित किये गये दावे में नियुक्ति की जारी प्रक्रिया के बीच सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

(vii) अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावा के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों को साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी। उक्त तिथि के पश्चात् प्रस्तुत कोई प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(b) जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति साक्षात्कार के समय अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया के क्रम में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। निर्धारित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

9. कदाचार (**Misconduct**) के निम्न मामलों में अभ्यर्थी के विरूद्ध कार्रवाई की जा सकती है:-

A candidate who is or has been declared to be guilty of:

(i) Obtaining support for his candidature by the following means, namely :-
  (a) Offering illegal gratification to; or
  (b) Applying pressure on; or
  (c) Blackmailing, or threatening to blackmail any person connected with the conduct of the examination; or

(ii) Impersonation; or

(iii) Procuring impersonation by any person; or

(iv) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with; or

(v) Uploading irrelevant photos in the application form in place of actual photo/signature; or

(vi) Making statement which are incorrect or false or suppressing material information; or

(vii) Resorting to the following means in connection with his candidature for the examination, namely :-
  (a) Obtaining copy of question paper through improper means; or
  (b) Finding out the particulars of the persons connected with work relating to the examination; or
  (c) Influencing the examiners; or

(viii) Being in possession of or using unfair means during the examination; or

(ix) Writing obscene matter or drawing obscene sketches or irrelevant matter in the scripts; or

(x) Misbehaving in the examination hall including tearing of the scripts, provoking fellow examinees to boycott examination, creating a disorderly scene and the like; or

(xi) Harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examination; or

(xii) Being in possession of or using any mobile phone (even in switched off mode), pager or any electronic equipment or programmable device or storage media like pen drive, smart watches etc. or camera or Bluetooth devices or any other equipment or related accessories either in working or switched off mode capable of being used as a communication device during the examination; or

(xiii) Violating any of the instructions issued to candidates along with their admission certificates permitting them to take the examination; or

(xiv) Attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses;

(xv) May in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :-
  (a) To be disqualified by the Commission from the Examination for which he is a candidate; and/or
  (b) To be debarred either permanently or for a specified period :-
    (i) By the Commission, from any examination or selection held by them;
    (ii) By the Government, from any employment under them, and
  (c) If he is already in service under Government, to disciplinary action under the appropriate rules :

Provided that no penalty, under this rule shall be imposed except after:-

(i) Giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in this behalf; and

(ii) Taking the representation, if any, submitted by the candidate within the period allowed to him into consideration.

10. ऐसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

11. <u>परीक्षा शुल्क</u> :–

(i) परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/चालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(ii) अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची II) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क रु0–**600 (छः सौ)** + बैंक चार्ज मात्र है।

(iii) **परीक्षा शुल्क में छूट–** झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति सहित/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रु0–150/–(**एक सौ पचास) + बैंक चार्ज** मात्र है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से भिन्न अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क जमा किये जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी एवं **बिना** परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे। **परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable)** होगा।

(iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को **परीक्षा** शुल्क में छूट है।

(v) ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में प्रकाशित एवं रद्द किये गये विज्ञापन संख्या–03/2021 के विरूद्ध आवेदन करने के समय परीक्षा शुल्क जमा कर चुके हैं उन्हें पुनः प्रकाशित विज्ञापन के विरूद्ध आवेदन करना होगा एवं परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा परन्तु नए आवेदन में पूर्व का रजिस्ट्रेशन नं0 एवं SBI Collect Payment Reference Number देना होगा।

12. <u>आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्तें एवं निर्देश</u>

(क) Online आवेदन के साथ किसी तरह का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है परन्तु भरे गए ऑनलाईन आवेदन की मुद्रित प्रति के साथ कंडिका–12(च) में वर्णित तथा वांछित प्रमाण–पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति आयोग के पते **"परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची–834001"** पर दिनांक–27.10.2021 तक निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगे। लिफाफे के ऊपर **विज्ञापन संख्या–06/2021 तथा परीक्षा का नाम यथा"सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी सीधी भर्ती नियुक्ति परीक्षा"** मोटे अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य है।

(ख) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट <u>www.jpsc.gov.in</u> पर Online Application System के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा।

(ग) अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाईन आवेदन भरा जायेगा। इसमें किसी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे। गलत या असत्य सूचना पाये जाने पर अभ्यर्थिता पर अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

(घ) ऑनलाईन आवेदन में अंकित **E-mail Id, Mobile Number** तथा प्राप्त **User Id** एवं **Password** को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत **Mobile Number, E-mail Id** अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का **Mobile Number, E-mail Id** अंकित नहीं करेंगे।

(ड.) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी आखिरी समय का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

(च) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान **Unsuccessul Payment/Transaction Status Failure** के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।

(छ) अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को **Submit** करने के बाद उसी समय पुनः **Login** कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध **"Download Filled Application Section"** से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिन्ट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित एवं आवेदन में वर्णित सभी प्रमाण–पत्र/कागजात, परीक्षा शुल्क भुगतान की बैंक रसीद की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।

(ज) आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।

(झ) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण–पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध है।

(ञ) Online Application में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी Online Application भली–भाँति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरें। एक बार Online Application में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन का अनुरोध आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् स्वीकार्य नहीं होगा।

(ट) **ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व "How to apply" (आवेदन कैसे करें) आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No.–+919431301636 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह–10.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।**

(ठ) **ऑनलाइन आवेदन भरने मे कोई असुविधा होने पर आयोग के निम्नलिखित Technical Help Line No. पर कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है :–**

1. +919431301636 2. +919431301419

(ड) परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए Payment Helpline No.– 9431301419 पर संपर्क किया जा सकता है।

(ढ) आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की विवरणी Online Application में प्रविष्ट करेंगे।

(ण) Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। **निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।**

(त) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।

(थ) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट/अंक–पत्र में अंकित है।

(द) जन्म तिथि–आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर लिखें।

(ध) आवेदन करते समय आवेदक शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विवरणी, उक्त संबंधी प्रवेशिका (मैट्रिक) प्रमाण पत्र, मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, खेलकूद संबंधी प्रमाण पत्र ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र में निर्धारित कंडिकाओं में अवश्य प्रविष्टि करेंगे। साक्षात्कार के पूर्व अभिलेख सत्यापन के क्रम में आवेदन में किये गये दावे के अनुरूप सभी वांछित निम्न प्रमाण–पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति (मूल प्रति सहित) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :

(i) मैट्रिक प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र की छायाप्रति।

(ii) इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र की छायाप्रति।

(iii) विज्ञापित पद से संबंधित शैक्षणिक अर्हता(स्नातकोत्तर) प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र की छायाप्रति।

(iv) विज्ञापित पद से संबंधित शैक्षणिक अर्हता(स्नातक) प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र की छायाप्रति।

(v) किसी राज्य अथवा भारत सरकार के विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विश्वविद्यालय/कॉलेज के प्रयोगशाला/शोध संस्थान में संबंधित विषय में दो वर्षों का कार्य करने का अनुभव प्रमाण–पत्र की छायाप्रति। अनुभव प्रमाण पत्र संस्थान के प्रमुख/विभागाध्यक्ष (यथा विश्वविद्यालय के उप कुलपति/रजिस्ट्रार/डीन/संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/एच०ओ०डी०) के द्वारा निर्गत मान्य होंगे।

(vi) राज्य सरकार/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स (कम से कम छः माह का Diploma in Computer Application) प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।

(vii) जाति प्रमाण–पत्र/E.W.S. प्रमाण–पत्र की छायाप्रति (जहाँ लागू हो)।

(viii) मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण–पत्र की छायाप्रति (जहाँ लागू हो)।

(ix) अनापत्ति प्रमाण–पत्र (जहाँ लागू हो)।

(x) साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय उपर्युक्त कंडिका–(ध) के अनुरूप यथा वांछित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

(न) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

(प) Online Application पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(फ) अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है। इस बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(ब) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अंतिम तिथि :-

(क) आवेदक Online Application System के माध्यम से दिनांक–04.10.2021 से दिनांक–20.10.2021 अपराह्न 11:45 बजे तक ही Online आवेदन कर सकते हैं।

(ख) दिनांक–20.10.2021 के बाद दिनांक–21.10.2021 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।

(ग) ऑनलाईन आवेदन की मुद्रित प्रति के साथ कंडिका–12(घ) में वर्णित यथा वांछित प्रमाण–पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति (Hard Copy) आयोग कार्यालय में समर्पित करने की **अंतिम तिथि–27.10.2021** निर्धारित है।

(घ) निर्धारित डाक/स्पीड पोस्ट के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जायेंगे तथा इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।

ह0/–
सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।

ज्ञापांक :–02/परी0जे0पी0एस0सी0–43/2013______ दिनांक–__________

प्रतिलिपि–परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।